

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 09/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्रीराम दूधवाल		<ul style="list-style-type: none">● भोमाराम पुत्र कालूराम उटाम्बर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उटाम्बर जोधपुर● गंगा उटाम्बर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उटाम्बर जोधपुर● ढोलाराम उटाम्बर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उटाम्बर जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपरिस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 18.03.2024

1-श्री चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण भोमाराम पुत्र कालूराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 10,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण भोमाराम पुत्र कालूराम की जायदाद आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 4 मिसल संख्या 33, ग्राम वं ग्राम पंचायत उटाम्बर, पंचायत समिति एवं तहसील बालेसर जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 361.11 वर्गगज, जिसके उत्तर में श्री कुम सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह की सम्पति, दक्षिण में श्री देवी सिंह पुत्र श्री भारत सिंह की सम्पति, पूर्व में श्री गंगा सिंह पुत्र श्री करण सिंह की सम्पति, पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 10,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 12.10.2023 तक 11,21,851/- रुपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष भोमाराम पुत्र कालूराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद भोमाराम पुत्र कालूराम की जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 4 मिसल संख्या 33, ग्राम वं ग्राम पंचायत उटाम्बर, पंचायत समिति एवं तहसील बालेसर जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 361.11 वर्गगज जिसके उत्तर में श्री कुभ सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण में श्री देवी सिंह पुत्र श्री भारत सिंह की सम्पत्ति, पूर्व में श्री गंगा सिंह पुत्र श्री करण सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

